

**FORM NO-III**फर्द अहकाम  
(नियम 26)

1229

#2020/00040

10/2020

अज अदालत- अपीलीय अधि० एवं जिला कलक्टर मुकाम अजमेर

रविन्द्र सिंह राठौड़ बनाम लोक सूचना अधि० एवं प्रभारी अधि० सामान्य शाखा, कार्यालय हाजा।

किरम मुकदमा-सूचना का अधिकार अधि.-2005

प्रकरण संख्या 10 सन् 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

19/2/20

पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी एवं अति० कलक्टर अजमेर (द्वितीय) से प्राप्त टिप्पणी का अपील मीमो के अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्त/प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन बाबत उनके स्तर पर देय सूचना/प्रत्युत्तर, पत्र दिनांक 20.12.2019 से प्रेषित किया जाना तथा उपखण्ड अधिकारी पुष्कर एवं अधिशाषी अधिकारी, न०पा०पुष्कर से सम्बन्धित सूचना उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने कारण अपील प्रस्तुत किया जाना जाहिर किया गया है। तदनुसार सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारियों (उपखण्ड अधिकारी पुष्कर एवं अधिशाषी अधिकारी, न०पा०पुष्कर) को निर्दिष्ट किया जाता है कि नियमानुसार देय सूचना/प्रत्युत्तर, अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति के 10 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

विश्व मोहन शर्माविश्व मोहन शर्मा  
जिला कलक्टर, अजमेर